

प्रारूप "ब"
देखिये नियम 9(3)(4) और (6)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू (जयपुर)

क्रमां/राजस्व आ0यो0/2019/

दिनांक/

संपरिवर्तन आदेश

श्री बालाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति मेघवाल निवासी 69, ग्राम पोस्ट चेलक तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर राज0 के आवेदन-पत्र पर उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिये इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति के नाम सहित पुरा पता	श्री बालाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति मेघवाल निवासी 69, ग्राम पोस्ट चेलक तहसील फतेहगढ जिला जैसलमेर राज0
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हैं।	हां।
3.	संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा -	
	(अ) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम कोटजेवर, ग्राम पंचायत झरना, तहसील मौजमाबाद
	(ब) भूमि का खसरा नम्बर और प्रत्येक खसरा नम्बर का क्षेत्रफल	खसरा नम्बर 653/506 रकबा 0.63 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.63 हैक्टेयर
	(स) प्रत्येक खसरा नम्बर के क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल या हैक्टेयर या वर्गमीटर।	खसरा नम्बर 653/506 रकबा 0.63 हैक्टेयर में से 5760 वर्गमीटर भूमि रूपांतरित की गयी।
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	आवासीय योजना
5.	संदेय प्रीमियम की दर	7.50/- रुपये प्रति वर्गमीटर
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम	चालान संख्या जी.आर.एन नं. 28378854 दिनांक 20/02/2019 राशि 43,500/- रुपये अक्षरे तियालिस हजार पांच सौ रुपये मात्र राजकोष में जमा कराई गई।
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो कि जमा कराई गई रकम	-
8.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, कि जमा कराई गई रकम	-
9.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	-
10.	अन्य विशिष्टियां यदि कोई हो	खसरा नम्बर 653/506 में से 540 वर्गमीटर भूमि आई.आर.सी. से प्रभावित होने के कारण राजहित में समर्पण की जा चुकी हैं। ले-आउट प्लॉन संलग्न हैं।

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

उप प्रजायक
बिचून (जयपुर)



11.	उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा :-
1.	उपयुक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
2.	यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 साल की कालावधि के भीतर संपरिवर्तन प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है, तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3.	नियम-4 में यथावर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
4.	लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमन्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
5.	आवेदक को सम्पर्वित भूमि के एक हटायें गए वृक्ष के एवज में एक वर्ष की अवधि में तीन छायादार या घने वृक्षों को लगाने की शर्त के अनुसार कुल हटायें जाने योग्य 02 पेड़ की एवज में 06 वृक्ष लगाने की शर्त पर उक्त 02 पेड़ हटाने की अनुमति दी जाती है आवेदक को वृक्ष लगाने में असफल रहने पर नहीं लगायें गये वृक्षों के लिए 500/- रूपयें प्रतिवर्ष राजस्व मद में जमा कराना होगा।
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क मार्ग जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुँच है उसके पास इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि निःशुल्क राज्य पक्ष में समर्पित की जायेगी तथा निर्धारित सीमा तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जावेगा।
7.	राष्ट्रीय राजमार्ग से रास्ता चाहने पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़कों से रास्ता चाहते हैं, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी।
8.	आवेदित भूमि में 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिये आरक्षित रहेगा, जिस पर किसी प्रकार का निर्माण/बैचान नहीं किया जावेगा। उक्त सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
9.	राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(6) राज-6/92 पार्ट/21 दिनांक 27/06/2007 एवं प. 6(6) राज-6 92 पार्ट/23 दिनांक 17/07/2007 के अनुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10.	आवेदित भूमि में से यदि पेट्रो उत्पाद पाईप लाईन गुजर रही हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 15/05/2008 के अनुसार पाईप लाईन के मार्गाधिकार की सीमा से 10 मीटर की परिधि में तथा डिपो स्थित हो तो डिपो सीमा से 50 मीटर की परिधि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
11.	राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्र/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होगी।
12.	संपरिवर्तित भूमि पर स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 65 (310) एसई/स्थानि/जैसारा/2005/12259 दिनांक 11/02/2005 में अंकित शर्तें लागू होगी।
13.	आवेदक को योजना का विकास अनुमोदित ले आउट प्लान अनुसार ही करना होगा।
14.	अनुमोदित ले-आउट प्लान में दर्शाया गया सुविधा क्षेत्र राज्य सरकार के स्वामित्व में रहेगा।
15.	विकास कर्ता को आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट के बहार की सम्पर्क सड़क तथा अन्दर की सड़कें स्वयं बनानी होगी।
16.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट में बिजली, पानी की अन्य आधारभूत सुविधाएं स्वयं विकसित करनी होगी
17.	कुल सम्पर्वित क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत क्षेत्र सुविधाओं के लिए होगा जो राज्य सरकार को समर्पित करना होगा। आवेदक द्वारा संपरिवर्तित भूमि पर निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व संपरिवर्तन नियम 2007 No.F.66(26)Rev.6/2014/33 दि. 6/10/2016 के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक प.9(19)राज-6/2018/03 दिनांक 29/05/2018 नियम 9 (2) तथा प्रपत्र जी के क्रम संख्या 4 के तहत ले आउट प्लान/बिल्डिंग प्लान का तकनीकी अनुमोदन नगर नियोजक से प्राप्त करना होगा।
18.	आवासीय कॉलोनी/प्रोजेक्ट की चार दिवारी बनवानी होगी तथा पार्कों का विकास करना होगा।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
दू. (जयपुर)

दिनांक/ 28/2/2019

क्रमांक/राजस्व-आ0यो0/2019/ 437 - 440
प्रतिलिपी- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर, जयपुर जिला जयपुर।
2. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर के पत्र क्रमांक/आर-1() भू.रू./17/2133 दिनांक 27.03.2017 के अनुसार आवासीय योजनाओं के लिये छोड़ा गया 40 प्रतिशत क्षेत्र राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करवाया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।
3. पटवारी हल्का झरना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. श्री बालाराम पुत्र श्री चौखाराम जाति मेघवाल निवासी 69, ग्राम पोस्ट चेलक तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर राज0
5. आदेश/गार्ड पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
विहित प्राधिकारी

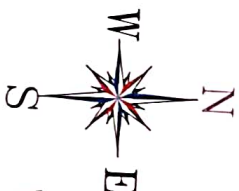
उपखण्ड अधिकारी
दू. (जयपुर)

PROPOSED LAY OUT PLAN OF

"GOKUL GREENS"

IN KHASRA NO. - 653/506

AT VILLAGE - KOTJEWAR, TEH- MOUMABAAD, JAIPUR.



1. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

2. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

3. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

4. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

5. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

6. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

7. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

8. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

9. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

10. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

11. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

12. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

13. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

14. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

15. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

16. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

17. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

18. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

19. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

20. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

21. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

22. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

23. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

24. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

25. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

26. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

27. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

28. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

29. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

30. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

31. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

32. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

33. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

34. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

35. जो है खसरा खण्ड नम्बर 653/506

श्रीमान्,
प्रस्तावित आउटप्लान की
सीमाएं प्रताधिकार
खसरा नम्बर 653/506 एवं सीमा अनुसार सुसंगत है।

2.5.

प्रस्तावित आउटप्लान की सीमाएं प्रताधिकार
खसरा नम्बर 653/506 एवं सीमा अनुसार सुसंगत है।

प्रस्तावित आउटप्लान की सीमाएं प्रताधिकार
खसरा नम्बर 653/506 एवं सीमा अनुसार सुसंगत है।

28/10/2019

28/10/2019

28/10/2019

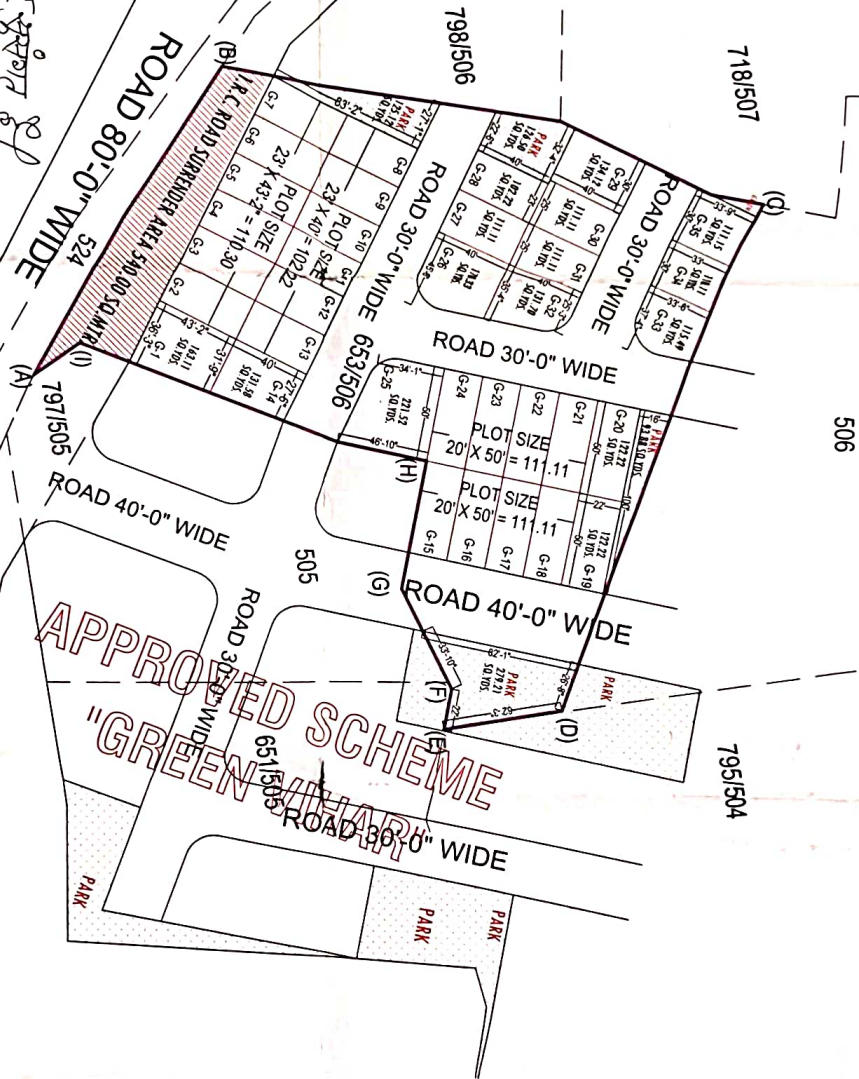
28/10/2019

28/10/2019

28/10/2019

28/10/2019

28/10/2019



APPROVED SCHEME
"GOKUL GREENS"

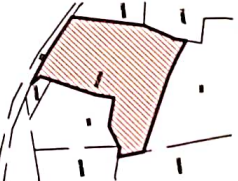
खसरा मानचित्र :-

खसरा नं. :- 653/506

क्षेत्रफल :- 0.63 HECT.

खसरा का नाम :-

खसरा मानचित्र :-



योजना का नाम :-
"GOKUL GREENS"

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.YDS.)	(%)
1	RESIDENTIAL	4133.73	60.00 %
2	PARK	635.46	09.22 %
3	ROAD	2120.81	30.78 %
SCHEME AREA		6890.00	100.00 %
I.R.C. AREA = 645.00 SQ. YDS. (540.00 SQ. MTR.)			
TOTAL AREA		7534.80	100.00 %
		6300.00 SQ. MTR.	

योजना सीमा :-

योजना क्षेत्रफल :-

पैमाना :-

1" = 50' FEET

दिशा सूचक

उपवेदन :-

जिलाधीश जयपुर

Consultant :-

Cad max

Consultancy (P) Ltd.

201-202, 2nd Floor, 1st Main Road, Sector 10, Gurgaon, Haryana - 122002